



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275551
CG-DL-E-18082026-275551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4347]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4527(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में NH731B के कि.मी. 49+200 से कि.मी. 86+000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् (उप जिलाधिकारी) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में NH731B के कि.मी. 49+200 से कि.मी. 86+000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: वाराणसी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: राजातालाब					
गांव का नाम: देईपुर					
1	329/1021	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
गांव का नाम: मडुका					
2	1064	सरकारी	गैर कृषि (आबादी)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
गांव का नाम: कपसेठी					
3	819	सरकारी	गैर कृषि (पी. डब्लू. डी. सिंचाई विभाग)	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
4	956	सामान्य	कृषि / गैर कृषि (कब्रिस्तान)	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
गांव का नाम: झबरा					
5	267	सरकारी	गैर कृषि (नाली)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
गांव का नाम: सजोई					
6	660	निजी	कृषि	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
गांव का नाम: परमंदापुर					
7	570	सामान्य	कृषि / गैर कृषि (आबादी)	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
गांव का नाम: सिरिहिरा					
8	113	सरकारी	(गैर कृषि (आबादी))	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
9	114	सरकारी	गैर कृषि (बंजर)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
10	355	निजी	कृषि	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
11	356	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001

12	359	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
गांव का नाम: कुरौना					
13	860	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
Total					0.1168

[फा. सं. CE-RO/NH(O)/NH-731B/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4527(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH731B in the stretch of land from Km. 49.200 to Km. 86+000 in the district of VARANASI in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, (Sub Divisional Magistrate) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH731B in the stretch of land from Km. 49.200 to Km. 86+000 in the district of VARANASI in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: VARANASI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rajatalab					
Village: Deipur					
1	329/1021	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
Village: Matuka					
2	1064	Government	Non-Agriculture (Abadi)	0.005 (Hectare)	0.005
Village: Kapsethi					
3	819	Government	Non-Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012

			(PWD Irrigation Department)		
4	956	Common	Agriculture / Non-Agriculture (Kabristan)	0.032 (Hectare)	0.032
Village: Jhabra					
5	267	Government	Non-Agriculture (Drain)	0.005 (Hectare)	0.005
Village: Sajoi					
6	660	Private	Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
Village: Parmandapur					
7	570	Common	Agriculture / Non-Agriculture (Abadi)	0.016 (Hectare)	0.016
Village: Sirihara					
8	113	Government	(Non-Agriculture (Abadi))	0.002 (Hectare)	0.002
9	114	Government	Non-Agriculture (Banjar)	0.001 (Hectare)	0.001
10	355	Private	Agriculture	0.0008 (Hectare)	0.0008
11	356	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
12	359	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
Village: Kurouna					
13	860	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
Total					0.1168

[F. No. CE-RO/NH(O)/NH-731B/2021-22/3A]
 SHAIKH AMINKHAN, Director